



भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क - जयपुर

OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राज.)

HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR, (RAJ.)

फोन नं. : 0141- 2385359

स्थापना शाखा

फैक्स नं. : 0141- 2385222

स्थापना आदेश संख्या -02/2019

दिनांक : 06.02.2019

संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 11/2018 दिनांक 16.08.2018 एवं स्थापना आदेश संख्या 23/2018 दिनांक 27.12.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित संयुक्त/उप/सहायक आयुक्तों को उनके नाम के आगे दर्शाये अनुसार कार्यभार तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रदान किये जाते हैं :-

S.No.	NAME OF THE OFFICER(Sh./Ms.)	PRESENT CHARGE	REVISED CHARGE
01.	B. K. MEENA, JC(in-situ)	P&V/ADMN/RTI/AUDIT, CGST & CX(H), JAIPUR	P&V/ADMN/RTI/AUDIT AND COMPUTER & IT, CGST & CX(H), JAIPUR
02.	Ms. NEHA LAL, DC	TRC & REVIEW, CGST & CX(H), JAIPUR	TRC/REVIEW/LEGAL, CGST & CX(H), JAIPUR
03.	SUNIL KUMAR VANGANI, AC	TRG./RAJBHASHA/SEVOTTAM/INSP./ADJ., CGST & CX(H), JAIPUR	TRG./RAJBHASHA/SEVOTTAM/INSP./ADJ/GST CELL/TECH./STATS, CGST & CX(H), JAIPUR

उक्त आदेश श्रीमान प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर की संस्वीकृति पश्चात जारी किया जा रहा है।

(बी. एल. मीना)

संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.)

फा.सं.: II-03(08)स्था./जेपीआर/2017/

दिनांक : 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर।
3. निजी सचिव, अपर आयुक्त(क.अ./तक.)/संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु., जयपुर।
4. प्रशासनिक अधिकारी(डी.डी.ओ.) सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु., जयपुर।
5. व्यक्तिगत प्रति/सेवापुस्तिका।
6. विभागीय वेबसाइट www.centralexcisejaipur.nic.in पर अपलोड हेतु।

संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.)